न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 48 / 2023

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थी–**
राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर		श्री अमित पुत्र श्री कानपुरी जाति गोस्वामी, संचालक गौस्वामी गैस सर्विस निवासी थाना पुलिस कोतवाली के पीछे, बाड़मेर शहर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेश विश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 09.07.2023 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा जिला रसद अधिकारी बाड़मेर से दूरभाष पर हुई वार्तानुसार मेरे द्वारा मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस, बाड़मेर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी श्री अमित कुमार उपस्थित मिला। उक्त दुकान मे गैस सिलेण्डर की आपूर्ति [illegible] की बेचने का कार्य किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की [illegible] घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग में लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:44:58 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	615510	IOCL	29.600 Kg	15.500 Kg	14.100 Kg
2.	665820	IOCL	29.400 Kg	15.600 Kg	13.800 Kg
3.	338406	IOCL	29.700 Kg	15.700 Kg	14.000 Kg
4.	524891	HPCL	29.800 Kg	15.800 Kg	14.000 Kg
5.	801502	HPCL	15.600 Kg	15.600 Kg	0.000 Kg
6.	376971	IOCL	16.000 Kg	16.000 Kg	0.000 Kg
7.	967621	IOCL	29.500 Kg	15.400 Kg	14.100 Kg
8.	061314	IOCL	29.700 Kg	15.500 Kg	14.200 Kg
9.	04689	IOCL	29.800 Kg	15.800 Kg	14.000 Kg
10.	37265	BPCL	30.600 Kg	15.600 Kg	15.000 Kg
11.	187426	BPCL	29.900 Kg	15.700 Kg	14.200 Kg
12.	013666	HPCL	29.900 Kg	15.800 Kg	14.100 Kg
13.	540819	BPCL	30.000 Kg	15.900 Kg	14.100 Kg
14.	2468	IOCL	15.300 Kg	15.300 Kg	0.000 Kg
15.	727406	BPCL	30.000 Kg	15.700 Kg	14.300 Kg
16.	320407	IOCL	15.900 Kg	15.900 Kg	0.000 Kg
17.	222565	BPCL	15.800 Kg	15.800 Kg	0.000 Kg
18.	71863	HPCL	30.000 Kg	15.900 Kg	14.100 Kg
19.	291193	HPCL	30.200 Kg	16.100 Kg	14.100 Kg
20.	101216	HPCL	30.300 Kg	16.500 Kg	13.800 Kg

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:44:58 IST
Reason: SelfAttested

2. मौके पर उक्त दुकान में पाये गये [illegible] के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग कि[illegible] पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। मौके पर जब्त[illegible] 20 घरेलू गैर सिलेण्डर मैसर्स बाड़मेर गैस एजेन्सी, बाड़मेर के मैनेजर श्री दिनेश जाति जैन, बाड़मेर को

सुपुर्दनामे पर सुपुर्द किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त जब्तसुदा सिलेण्डर में से 6 सिलेण्डर अप्रार्थी व उनकी माता–पिता के नाम से जारी हो रखे थे जिनके विधिक स्वामी अप्रार्थी का ही परिवार है। अवशेष सिलेण्डर विप्रार्थी के दादा की बरसी होने पर सामाजिक कार्यक्रम के चलते अपने रिश्तेदारों से कुछ खाली व भरे हुये सिलेण्डर लाये गये थे तथा अप्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डर का किसी प्रकार का बेचान तथा न ही उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था लिहाजा उसके विरूद्ध की गई उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर जब्तशुदा सिलेण्डर उसे दिये जाने का आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त [illegible] सीज किया गया है जो वर्तमान में गैस [illegible] बाड़मेर गैस एजेन्सी, बाड़मेर को सुपुर्दगी पर [illegible] द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:44:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त जब्तसुदा सिलेण्डर में से 6 सिलेण्डर अप्रार्थी व उनकी माता–पिता के नाम से जारी हो रखे थे जिनके विधिक स्वामी अप्रार्थी का ही परिवार है। अवशेष सिलेण्डर विप्रार्थी के दादा की बरसी होने पर सामाजिक कार्यक्रम के चलते अपने रिश्तेदारों से कुछ खाली व भरे हुये सिलेण्डर लाये गये थे तथा अप्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डर का किसी प्रकार का बेचान तथा न ही उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था जबकि मौतबिरान के रूबरू मौके व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग लेते हुए जब्त किये गये हैं। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन मे पाये जाने से उपरोक्त 20 गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।

6. आदेश आज दिनांक 18.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राज.)